रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 1998/वैशाख 2, 1920
No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 1998/VAISAKHA 2, 1920

भारतीय पुर्नवास परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1998

फा. सं. 5-62/93-आर.सी. आई.—भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 8 की उपधारा (3) और धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अवधारित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुनर्वास परिषद (सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 1998 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये ऐसे सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लागू होंगे, जो परिषद के पूर्णकालिक नियोजन में है ।

2. परिभाषाएं —इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) अभिप्रेत है ;

(ख) ''अध्यक्ष'' से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''परिषद'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद अभिप्रेत है;

(घ) ''कर्मचारी'' से धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों और भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में परिषद द्वारा पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जिसकी सेवाएं परिषद में प्रतिनियुक्ति पर रखी गई हैं या जिसकी सेवाएं परिषद द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन के नियंत्रणाधीन रखी गई हैं ;

(ङ) ''सदस्य-सचिव'' से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(च) ''अधिकारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार परिषद द्वारा उस रूप में पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित है ;

(छ) ''भर्ती विनियमों'' से सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. नियुक्ति (1) परिषद द्वारा सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिनियम के उपबंधों के अधीन भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए बनाए गए भर्ती नियमों के उपबंधों और केंद्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएंगी ।

(2) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या, उनकी अर्हताएं, वेतनमान, भर्ती की पद्धति, परिवीक्षा की अवधि और अन्य शैक्षिक अर्हताएं वह होंगी जो भर्ती विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) पूर्णकालिक नियोजन पर नियोजित किए जाने वाला कोई व्यक्ति केवल तभी नियुक्त किया जाएगा जब वह कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित प्रस्तुत करता है —

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा और आरोग्य प्रमाणपत्र;

(ख) शैक्षिक अर्हताओं, जन्म तिथि और अनुभव के समर्थन में मूल डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र;

(ग) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी या अन्य समतुल्य सक्षम प्राधिकारी का चरित्र, सत्यनिष्ठा और पूर्ववत प्रमाणपत्र;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या भूतपूर्व सैनिक या नि:शक्तता, यदि लागू हो, का प्रमाणपत्र;

(ङ) यदि विवाहित है तो इस आशय का प्रमाणपत्र कि उसका या उसकी एक से अधिक जीवित, पत्नी या पति नहीं है :

परन्तु, यदि परिषद का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान हैं, तो वह ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने से उस व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

4. नियुक्ति प्राधिकारी—(1) ऐसे पदों के संबंध में, जिनका अधिकतम वेतनमान 13,500 रु. या अधिक है, सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएंगी ।

(2) अन्य पदों के संबंध में नियुक्तियां सदस्य-सचिव द्वारा की जाएंगी ।

(3) परिषद का सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

5. वेतन और भत्ते—सदस्य-सचिव, अधिकारी और कर्मचारी भर्ती नियमों में विहित किए गए अनुसार, उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान में वेतन के हकदार होंगे । वे समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू दरों पर उनके वेतन के समनुचित महंगाई भत्ते और नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार होंगे ।

6. छुट्टी की मंजूरी—(1) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की छुट्टी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार शासित होंगी ।

(2) अध्यक्ष, सदस्य-सचिव के संबंध में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी मंजूर करने के लिए सदस्य-सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा ।

7. ज्येष्ठता—अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार शासित होंगी ।

8. अधिवर्षिता की आयु—सदस्य-सचिव, अधिकारियों और समूह ''घ'' कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 58 वर्ष होगी । समूह ''घ'' कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी ।

9. आचरण—(1) सदस्य-सचिव, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी सभी समयों पर पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा और ऐसा कुछ नहीं करेगा जो किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है । सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का आचरण और व्यवहार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन जारी किए गए आदेशों के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

(2) सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण और अनुशासन, शास्ति का अधिरोपण, जांच अन्य संबंधित बातों के संबंध में अपील से संबंधित विषय, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे ।

(3) शासित अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित होगा—

(क) सदस्य-सचिव और समूह ''क'' अधिकारियों की दशा में, अध्यक्ष;

(ख) अन्य कर्मचारियों की दशा में सदस्य सचिव ।

(4) कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, केंद्रीय सरकार को होगी और सदस्य सचिव के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को होगी ।

10. चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाएं—

सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी (केंद्रीय सेवा) चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 के उपबंधों के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार उनके वेतन के समुचित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत-सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उनके वेतन के समुचित छुट्टी यात्रा रियायत के लिए उसी दर पर, उन्हीं मानों और उन्हीं शर्तों पर हकदार होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं ।

12. यात्रा-भत्ता—(1) सदस्य-सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी परिषद् की सेवा में की गई यात्राओं के लिए उनके वेतन के समुचित यात्रा-भत्ते, दैनिक भत्ते, अपने व्यक्तिगत सामानों के परिवहन के लिए भत्ते और अन्य समान बातों के लिए उसी मान पर उन्हीं दरों पर और उन्हीं शर्तों पर हकदार होंगे जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं ।

(2) अध्यक्ष यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते को मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

13. बीमा—सदस्य-सचिव, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी उनके वेतन के समतुल्य जीवन बीमा सुरक्षा के लिए उसी रीति में, उन्हीं मानों पर और उन्हीं शर्तों पर हकदार होगा जैसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा फा.सं. 7 (5) ईवी/89 तारीख 1 नवम्बर, 1980 के अधीन अधिसूचित केंद्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम, 1980 के अधीन केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हकदार हैं ।

14. संपूर्ण भारत में सेवा करने का दायित्व—भर्ती विनियमों और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

15. प्रशिक्षण लेने का दायित्व—इन विनियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए दायी होगा और भारत में प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रमों को भेजा जाएगा, जैसा सरकार समय-समय पर विनिश्चित करे। ऐसे किसी प्रशिक्षण या पाठयक्रम में, जिसकी अवधि छह मास या अधिक है या भारत के बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया कोई व्यक्ति, प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना प्रशिक्षण के पूरे व्यय या खर्च के प्रतिदाय के लिए दायी होगा, यदि किसी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर वह अपनी सेवा में बने न रहने का विकल्प देता है ।

16. तथ्यों और जानकारी का छिपाया जाना—सदस्य-सचिव या किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा की गई किसी घोषणा या दी गई किसी जानकारी के मिथ्या या गलत पाए जाने या उसमें किसी तात्विक जानकारी को जानबूझ कर छिपाया गया, पाए जाने की दशा में, वह परिषद के नियोजन से हटाए जाने के लिए दायी होगा/होगी और ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए भी दायी होगा/होगी, जो परिषद उसके विरुद्ध करना आवश्यक या उचित समझे।

17. नियोजन में आरक्षण—परिषद, सदस्य-सचिव किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के रूप में व्यक्तियों का नियोजन करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के संबंध में उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित पदों के आरक्षण, आयु-सीमा की छूट और अन्य रियायतों की बाबत समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों का पालन करेगा ।

18. सेवा की साधारण शर्तें—सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की साधारण शर्तें, जिसके अन्तर्गत वेतन,भत्ते मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्ता, कार्यग्रहण समय, धारणाधिकार, पुष्टि, पदच्युति, हटाया जाना, निलंबन, सेवानिवृत्ति और अन्य संबंधित विषय भी हैं, मूल नियमों और अनुपूरक नियमों, वित्तीय नियमों, केंद्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार शासित होंगी ।

19. सेवा के अभिलेख—परिषद, अनुपूरक नियमों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य-सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका, गोपनीय रिपोर्टें और सेवा के अन्य अभिलेख रखेगी ।

डा. बी.पी. यादव, अध्यक्ष

16. Suppression of facts and information.—If any declaration given or information furnished by the Member-Secretary or an officer or an employee proves to be false or incorrect or found to have wilfully suppressed any material information, he/she shall be liable to be removed from the employment of the Council and shall also be liable for such other action as the Council may deem necessary or proper to be taken against him/her.

17. Reservation in employment.—The Council, while making the employment of persons as a Member-Secretary, an officer or an employee, shall adhere to the orders and instructions issued by the Central Government from time to time regarding reservation of posts, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, other backward Classes and other special categories of persons.

18. General conditions of service.—The general conditions of the service of the Member-Secretary, officers and other employees including pay, allowances, honorarium, compensatory allowance, joining time, lien, confirmation, dismissal, removal, suspension, retirement and other related matters shall be governed in accordance with the provisions of the Fundamental Rules and Supplementary Rules, Financial rules, Central Service (Temporary Service) Rules, 1965 and orders issued by the Central Government from time to time.

19. Records of service.—The Council shall maintain the service book, confidential reports and other service records of the Member-Secretary, officers and other employees in accordance with the provisions of Supplementary Rules.

DR. B. P. YADAV, Chairman

भारतीय पुनर्वास परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1998

फा.सं. 5-62/93-आर.सी. आई.—भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुनर्वास परिषद (पुनर्वास वृतिकों के लिए वृतिक आचरण के मानक, शिष्टाचार और नैतिक संहिता) विनियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं —इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''अधिनिमय'' से भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) अभिप्रेत है,

(ख) ''परिषद'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत है,

(ग) ''प्ररूप'' से विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(घ) ''प्रेक्टिस'' से किसी पुनर्वास वृतिक द्वारा निशक्तता ग्रस्त व्यक्ति का किया गया उपचार अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत परामर्श देना, शिक्षण और सहायकों तथा साधित्रों की फीटिंग या उनका समायोजन भी है,

(ङ) ''वृतिक'' से धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन परिभाषित पुनर्वास वृतिक अभिप्रेत है,

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(छ) सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमश: उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. विज्ञापन और प्रचार का प्रतिशेध—कोई वृतिक किसी नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो स्वयं या किसी समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तिका में किसी प्रकार के प्रचार या विज्ञापन के माध्यम से या किसी डाक्युमेन्टरी फिल्म या प्लेकार्ड के माध्यम से या किसी परिपत्र, कार्ड, हुंडी, फोटो या चार्ट द्वारा, प्रलोभन नहीं देगा।

परन्तु वृत्तिक किसी प्रेस मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम द्वारा अपनी प्रेक्टिस आरंभ करने या पुन: आरंभ करने, प्रेक्टिस की प्रकृति के परिवर्तन, प्रेक्टिस के स्थान या निवास के पते के परिवर्तन, प्रेक्टिस के स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति, व्यवसाय के परिसमापन या किसी अन्य व्यवसाय में चले जाने के बारे में औपचारिक उद्घोषणा जारी कर सकेगा।

परन्तु यह और कि वृतिक कौशल या विज्ञान के संवंर्धन के लिए लिखित या प्रकाशित पूर्व रूप से अनुसंधान, चिकित्सा या विज्ञान साहित्य को लिख या प्रकाशित कर सकेगा।

4. वृतिक द्वारा घोषणा—प्रत्येक वृतिक, धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रेशन के समय इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप में एक प्रतिज्ञान या घोषणा करेगा ओर उसे हस्ताक्षरित करेगा तथा उनके पालन करने का करार करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन—(1) कोई भी वृतिक या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से परिषद द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियों में कोई संशोधन, परिवर्तन या विदूषण नहीं करेगा। यदि रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किए गए वृतिक के पत्ते, अर्हताओं या किन्हीं अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर वृतिक द्वारा परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जाएगी और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तदनुसार सदस्य सचिव से संशोधित कराया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पते या किन्हीं अन्य विशिष्टियों के संशोधन या परिवर्तन सदस्य-सचिव के द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

(2) वृतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित कराने की दृष्टि से मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को या तो स्वयं या अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक के अधीन उसे सदस्य सचिव को भेजेगा।

(3) सदस्य-सचिव रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में आवश्यक और अपेक्षित संशोधन करेगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में किए गए संशोधन सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

6. वृतिक के नाम या उपनाम में परिवर्तन—(1) यदि नाम या उपनाम में जो रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किया गया है, कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वृतिक द्वारा परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दी जाएगी। ऐसी सूचना के साथ निम्नलिखित होगा।

(क) नाम या उपनाम के ऐसे परिवर्तन, लोप या, परिवर्धन के संबंध में राजपत्र में या किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति, या

(ख) नाम या उपनाम के ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिज्ञान और अधिप्रमाणित किया गया एक शपथपत्र,

(ग) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र।

(2) सदस्य-सचिव रजिस्टर और रजिस्ट्रीकरण में आवश्यक और अपेक्षित संशोधन या परिवर्तन करेगा। रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में किए गए संशोधन या परिवर्तन सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

7. प्रेक्टिस और निवास के स्थान का परिवर्तन—यदि प्रेक्टिस या निवास के स्थान में जो रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किया गया है, में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर वृतिक ऐसे परिवर्तनों की सूचना परिषद को देगा और विनियम 5 के उपविनियम (2) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को संशोधित कराएगा।

8. अर्हताओं और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिखाया जाना—(1) प्रत्येक वृतिक अपनी सही डिग्री या डिप्लोमा, साइनबोर्ड, पत्रशीर्ष, पैड, नुस्खा पर्ची, विजिटिंग कार्ड, प्रमाणपत्र, रिपोर्ट और उसके हस्ताक्षर से जारी किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों पर दर्शाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति उस परिसर के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी जहां वह वृतिक प्रेक्टिस करता है।

9. वृतिक सेवा के लिए संदाय—कोई वृतिक ''आराम नहीं, फीस नहीं'' जैसी संविदा नहीं करेगा। परामर्श फीस, औषधियों या अन्य सहायताओं और साधित्रों की बाबत या इसी प्रकार की अन्य सेवा के लिए, लिए जाने वाले प्रभार अत्याधिक नहीं होंगे।

10. पूर्वानुमान का प्रतिशेध—कोई भी वृतिक स्वयं को किसी नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति की रोग के अनुक्रम में पुर्वानुमान करने में या उसकी गम्भीर दशा को बढ़ा-चढ़ाकर बताने में लिप्त नहीं रहेगा।

11. कृत्सित आचरण—यदि कोई वृतिक,—

(क) रोग के अनुक्रम का पुर्वानुमान को बढ़ा चढा कर बताने में लिप्त होता है,

(ख) किसी अनर्यादित कार्य में सम्मिलित होता हे,

(ग) किसी नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति के साथ अनुचित या अनैतिक संबंध बनाए रखता है,

(घ) किसी नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति के साथ कठोर और रुखी भाषा का प्रयोग करता है,

(ङ) अत्याधिक परामर्श फीस या सेवा प्रभार लेता है,

(च) किसी नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक व्याधि से अनपेक्षित लाभ लेता है,

(छ) किसी नि:शक्तता ग्रस्त व्यकित को जानबूझकर कोई निम्न स्तर के सहायक या साधित्र, अंत:स्थापित करता है, लगाता है या समायोजित करता है,

(ज) नियमित और अपेक्षित अंतरालों पर या उचित समय पर नि:शक्ता ग्रस्त व्यक्ति का पुनर्वास या उपचार नहीं करता है,

(झ) जानबूझकर या आशित रूप से किसी नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति की उपेक्षा करता है,

(ञ) नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए दिए गए किसी फायदे का उपभोग करता है या उपभोग करने का प्रयास करता है, या

(ट) अपनी विशेषज्ञता से भिन्न किसी क्षेत्र में प्रेक्टिस करता है; तो उसे कुत्सित आचरण वाले वृतिक के रूप में घोषित किया जाएगा।

12. जानकारी का प्रस्तुत किया जाना—जब कभी वृतिक की अर्हताओं, प्रेक्टिस के स्थान या निवास की बाबत कोई जानकारी या किसी अन्य प्रभार की जानकारी परिषद् या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित की जाती है, तो वृतिक उसे बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत करेगा।

13. रजिस्टर आदि का रखा जाना - प्रत्येक वृतिक परीक्षण किए गए व्यक्तियों, प्रमाणपत्रों, रिपोर्टों या जारी किए गए नुस्खों का उचित दैनिक अभिलेख और उसके द्वारा प्राप्त की गई परामर्श फीस, सेवा प्रभार और अन्य प्रभारों का लेखा-जोखा रखेगा।

14. दस्तावेजों आदि का प्रस्तुत किया जाना - जब कभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता निश्चित करने की दृष्टि से या किसी अन्य विषय के संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा या केन्द्रीय सरकार या सदस्य सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की, जिसके अन्तर्गत किसी वृतिक के कब्जे में या उसके नियंत्रनाधीन कोई रजिस्टर, प्रमाणपत्र, लेखा-बहियां या अन्य कागजपत्र भी हैं, जांच या निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, वहां वृतिक उन्हें जांच या निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है, वहां वृतिक उन्हें जांच या निरीक्षण के लिए सदस्य-सचिव या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

15. विनियमों के उल्लंघन के परिणाम - यदि ऐसी जांच के पश्चात, जो परिषद न्यायसंगत और उचित समझे, कोई वृत्तिक इन विनियमों के सभी या किसी उपबंधों के उल्लघंन का दोषी पाया जाता है, तो वह कुत्सित आचरण वाले वृत्तिक के रूप में घोषित किए जाने के लिए दायी होगा या उसके नाम की धारा 21 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर से हटाये जाने का आदेश किया जा सकेगा।

प्ररूप

(विनियम 4 देखिए)

घोषणा का प्ररूप

मैं,..... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत के लोगों और मानवता की सेवा और भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा मैं अपने सर्वोत्तम सार्मथ्य और ज्ञान से उस वृति, जिसमें मैं पदार्पण करने वाला हूँ, के कर्त्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से और तत्परतापूर्वक, निष्ठापूर्वक और किसी भय, पक्षपात या दुर्भावना के बिना करूंगा, कि मैं वृति की मर्यादा, सम्मान और उत्कृष्ठ परंपरा को बनाए रखूंगा, कि निशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास मेरा सर्वोत्तम प्रयास होगा और मैं वृत्तिक आचारण की गोपनियता और मानकों तथा शिष्टाचार बनाए रखूंगा और उनका सम्मान करूंगा और भारतीय पुनर्वास परिषद (पुनर्वास वृत्तिकों के लिए वृतिक आचरण के मानक, शिष्टाचार और नैतिक संहिता) विनियम, 1998 में अधिकथित नैतिक संहिता का पालन करूंगा।

मैं ..... आज तारीख ..... 1998/99 को बिना किसी बाहरी दवाब के यह घोषणा करता हूं और उनके पालन करने के लिए सहमति देता हूं।

परिषद की मुद्रा

वृतिक के हस्ताक्षर

सदस्य सचिव के हस्ताक्षर

डा. बी. पी. यादव, अध्यक्ष

REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1998

F. No. 5-62/93-RCI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 and Section 29 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) the Rehabilitation Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Rehabilitation Council of India (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Rehabilitation Professionals) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992);

(b) "Council" means the Rehabilitation Council of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Act ;

(c) "form" means the form annexed to these regulations;

(d) "practice" means the treatment of persons with disabilities undertaken by a rehabilitation professional and include the Counselling, teaching and fitting or adjustment of aids and appliances;

(e) "professional" means a rehabilitation professional defined under clause (n) of sub-section (1) of Section 2;

(f) "section" means section of the Act ;

(g) all other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.